भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

By FAX/Speed Post

तार: निर्वायोग
नई दिल्ली
GRAM: LECOM
NEW DELHI

वेबसाइट / Website: www.eci.nic.in ई-मेल / E-mail: rakesh.kumar@eci.gov.in फोन/Phone: 011-23052077 फैक्स / FAX: 011-23716617

सं0 : 100/उ0प्र0–वि0स0/3/2015

तारीख : 16 अप्रैल, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य में **315–फरेन्दा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप–निर्वाचन, 2015 – अधिसूचना का प्रकाशन ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग द्वारा जारी अधिसूचना, संख्या 100/उ0प्र0–वि0स0/3/2015, तारीख 16 अप्रैल, 2015 की एक–एक प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) आपको भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था कर दें तथा उक्त राजपत्र की छः प्रतियॉ आयोग को अभिलेख हेतु भेज दें ।

2. आयोग द्वारा उक्त उप–निर्वाचन के लिए मतगणना की तिथि 3 मई, 2015 तय की गई है । कृपया इस सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों को सूचित करें और विधान सभा क्षेत्र में व्यापक प्रसार करें ।

3. कृपया इसकी पावती भेज दें।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
अवर सचिव

राज्य सरकार के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 16 अप्रैल, 2015 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 16 अप्रैल, 2015

26 चैत्र,1937 शक

अधिसूचना

सं. 100/उ0प्र0-वि0स0/3/2015:- यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में 17 मार्च, 2015 को प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या 100/उ0प्र0-वि0स0/3/2015 दिनांक 17 मार्च, 2015 के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के 315-फरेन्दा वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र के रिक्त स्थान को भरने के लिए उप-निर्वाचन कराए जाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था जिसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* 11 अप्रैल, 2015 (शनिवार) को मतदान की तारीख के रूप में नियत किया गया था; और

यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष डब्ल्यू.सी. सं. 14270/2015 में आदेश दिनांक 20 मार्च, 2015 से उत्पन्न हुई विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 8850/2015 की याचिका में *'अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 2015 के अनुसरण में 315-फरेन्दा वि.स. में निर्वाचन प्रक्रिया को आस्थगित रखा जाए',* संबंधी एक आदेश, दिनांक 30 मार्च, 2015, पारित किया था; और

यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, आयोग ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. 100/उ0प्र0-वि0स0/3/2015 में संशोधन कर दिया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह दर्शाया गया था कि मतदान की तारीख, वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा और मतदान का समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त एस.एल.पी. का निपटान करने के उपरांत नियत किया जाएगा; और

यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के जरिए 2015 की पूर्वोक्त रिट याचिका डब्ल्यू.सी. सं. 14270 (जिसे न्यायालय को 2015 के अंतरित केस नं. 60 के रूप में अंतरित किया गया) निरस्त कर दी है और तद्नुसार, पूर्वोक्त एस.एल.पी. का निपटान कर दिया है; और

यत:, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त एस.एल.पी. का निपटारा कर दिए जाने के उपरान्त, उपर्युक्त कथित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रक्रिया पुन: शुरू की जानी है;

अब इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 30, 56, 150 और 153 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यथासंशोधित, दिनांक 17 मार्च, 2015 की अपनी अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना के पैरा (आ) में मौजूदा प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

"(घ) वह तारीख, जिसको मतदान होगा 30 अप्रैल, 2015 (बृहस्पतिवार);

(ड.) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 6 मई, 2015 (बुधवार); और;

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 3(इ) में, मौजूदा प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

"(इ) **8.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे अपराहन तक** का समय उस **समय के रूप** में नियत करता है जिसके दौरान निर्वाचन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।"

आदेश से,

राजीव कुमार

(आर. के. श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

TO BE PUBLISHED IN AN EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE GOVERNMENT ON 16TH APRIL, 2015.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

Dated: 16th April, 2015
26 Chaitra, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/UP-LA/3/2015:- Whereas, the Election Commission of India, vide its notification number 100/UP-LA/3/2015, dated 17th March, 2015, published in the Gazette of Uttar Pradesh Government on 17th March, 2015, had fixed the schedule for bye election to fill the vacant seat of 315-Pharenda AC of Uttar Pradesh State Legislative Assembly, appointing, *inter alia*, 11th April, 2015 (Saturday) as the date of poll; and

Whereas, the Hon'ble Supreme Court had passed an order dated 30th March, 2015 in Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 8850/2015 arising out of order, dated 20th March, 2015 in WC No. 14270/2015 before the High Court of UP at Allahabad to *'keep the election process pursuant to the notification dated 17th March, 2015 to the 315-Pharenda AC in abeyance.'*; and

Whereas, in compliance of the aforesaid order of the Hon'ble Supreme Court, the Commission had amended its Notification No. 100/UP-LA/3/2015, dated 17th March 2015, indicating to the effect, *inter alia*, that the date of poll, the date before which election shall be completed and the hours of poll shall be fixed after the disposal of the aforesaid SLP by the Hon'ble Supreme Court; and

Whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 9th April,2015 has dismissed the aforesaid Writ Petition WC No. 14270 of 2015 (transferred to it as Transferred Case No. 60 of 2015) and accordingly disposed of the aforesaid SLP; and

Whereas, after the disposal of the aforesaid SLP by the Hon'ble Supreme Court, the election process from the above said constituency has to be recommenced;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred under sections 30, 56, 150 and 153 of the Representation of the People Act, 1951 read with section 21 of General Clauses Act, 1897, hereby makes the following further amendments in its Notification dated 17th March 2015, as amended by its notification dated 31st March, 2015, viz:-

(i) In Para (B) of the said notification, for the existing entries the following entries shall be substituted:-

" (d) 30th April, 2015 (Thursday), as the date on which a poll shall be taken;

(e) 6th May, 2015 (Wednesday), as the date before which election shall be completed"

and;

(ii) In Para 3(C) of the said notification, for the existing entries, the following entries shall be substituted:-

"(C) **fixes the hours** from **8:00 a.m. to 5:00 p.m.** as the hours during which the poll shall be taken on the date specified above, for the election."

By order,

(R.K. SRIVASTAVA)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

By FAX/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

तारः निर्वायोग
नई दिल्ली
GRAM: LECOM
NEW DELHI

वेबसाइट / Website: www.eci.nic.in ई-मेल / E-mail: rakesh.kumar@eci.gov.in फोन/Phone: 011-23052077 फैक्स / FAX: 011-23716617

सं0 : 100 / उ0प्र0–वि0स0 / 3 / 2015 तारीख : 16 अप्रैल, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य में **315–फरेन्दा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप–निर्वाचन, 2015 – अधिसूचना का प्रकाशन ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आयोग द्वारा जारी अधिसूचना, संख्या 100 / उ0प्र0–वि0स0 / 3 / 2015, तारीख 16 अप्रैल, 2015 की एक–एक प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) आपको भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था कर दें तथा उक्त राजपत्र की छः प्रतियॉ आयोग को अभिलेख हेतु भेज दें ।

2. आयोग द्वारा उक्त उप–निर्वाचन के लिए मतगणना की तिथि 3 मई, 2015 तय की गई है । कृपया इस सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों को सूचित करें और विधान सभा क्षेत्र में व्यापक प्रसार करें ।

3. कृपया इसकी पावती भेज दें।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
अवर सचिव